PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः 1402/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 28/09/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जुगासू से बुरूवा मोटर मार्ग पर नव निर्माण हेतु 0.358 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/13419/2015)**

सन्दर्भ : **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/254/2016/एफ0सी0/301 दिनांक 10–05–2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 06–11–2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके उपरान्त लो0नि0वि0 ऊखीमठ द्वारा अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गयी थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति लगाई गयी थी, कि वृक्षारोपण योजना हेतु धनराशि रू0 5000.00 (पांच हजार मात्र) की अवशेष एन0पी0वी0 जमा की जानी है तथा ऐजेन्सी परिवर्तन की धनराशि रू0 23521.00 (तेईस हजार पांच सौ इक्कीस मात्र) जमा की जानी है। जिसके बिन्दु संख्या 01 के क्रम में नयी दरों/वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची हुई धनराशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के पत्रांक– 496/12–1(2) दिनांक 16–08–2022 द्वारा अवशेष एन0पी0वी0 एवं ऐजेन्सी परिवर्तन की धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट इस खण्ड को प्रेषित किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त डिमांड नोट को सत्यापित करने की कृपा करें, ताकि एन0पी0वी की अवशेष धनराशि जमा की जा सके।

28/09/22

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग को उनके पत्रांक–496/12–1(2) दिनांक 16–08–2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

ई. मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता – माई की मढी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 496 /19-1-2 दिनांक 16-8-2022 /2022::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
दि0 17-8-22
पत्रांक 1375

विषय :– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू से बुरवा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ से पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 रूद्रप्रयाग को हस्तान्तरित किये जाने एवं पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त भारत सरकार स्तर से लगाई गई 02 बिन्दु की आपत्ति के निराकरण के संबंध में।**

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/13419/2015

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 254 / 2016 / एफ.सी. / 301 दिनांक 10.05.2019 एवं आपकी पत्र संख्या–1030 दिनांक 22.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तावक विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी बदल दी गई है। अतः प्रकरण में नई प्रयोक्ता एजेन्सी को निम्न शर्तो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

1. नई प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उक्त सन्दर्भित पत्र के **बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में (वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न वृक्षारोपण योजना के अनुसार रुपये 3,90,000.00–3,85,000.00 = 5,000.00) वृक्षारोपण हेतु अवशेष धनराशि रुपये 5000.00 (पांच हजार)** मात्र कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र के **बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम संबंधित प्रमाण पत्रों को मूल सहित चार कलर प्रतियों में** इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. भारत सरकार की वन अधिनियम नियमावली–2003 (हैण्ड बुक) में दी गाईड लाईन्स / निर्देशिका के अध्याय–5 के बिन्दु संख्या–5.1 के उप बिन्दु–डी के अनुसार **प्रस्तावक विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी के बदलने पर एन0पी0वी0 की धनराशि का 10 प्रतिशत (235206.00 X 10 % = 23521.00) रुपये 23521.00 (तेईस हजार पांच सौ इक्कीस) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशि को हार्ड प्रति में वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् ही डिमांड नोट ऑनलाईन अपलोड किया जाय। तत्पश्चात् सत्यापित धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–1 से 2 तक की वांछित सूचना कॉलमवार / बिन्दुवार मय संलग्नक (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में चाही गई सूचना अग्रेसित की जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त डिमांड नोट को हार्ड प्रति में अपने स्तर से जांच कर संस्तुति सहित संबधित प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा कीजिएगा।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE),
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/254/2016/एफ0सी0/30/ **दिनांक: 10/05/2019**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जुगासू मोटर मार्ग से बुखा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.358 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13419/2015).**

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2766/FP/UK/ROAD/13419/2015 दिनांक 09-04-2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुये मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. Plantation scheme is submitted for Rs. 3,90,000/- but only Rs 3,85,000/- has been deposited in CAMPA. State Government may deposit the balance amount of plantation scheme i.e. Rs. 5,000/-.
2. In reply to point No. 07, submitted that FRA certificate has already been submitted but the same is a colour photocopy. State Government may submit the original hard copy of FRA certificate.

तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

10/5/19

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

10/5/19

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)